

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फैक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/

दिनांक : 16 अप्रैल, 2004

परिपत्र सं. 1
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 27/2/04, 16/2/04 एवं दिनांक 12/3/04 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ.टीयूएफएस (6) द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन किया है :-

- (1) दी न्यू इंडिया को. ऑपरेटिव बैंक लि.
- (2) दी कॉसमॉस को. ऑपरेटिव बैंक लि.
- (3) दी सूरत डिस्ट्रीक्ट को. ऑपरेटिव बैंक लि.

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 12/3/04, 10/3/04, 18/3/04, 29/3/04 एवं 31/3/04 के पत्र सं. डीएफआईडी/आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों को सहयोजित किया :-

- (1) दी कपोल को ऑप. बैंक लि.
- (2) जलगांव जनता सहकारी बैंक लि.
- (3) दी शिरपुर पीपल्स को.ऑप. बैंक लि.
- (4) राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
- (5) श्री वीरशैव को. ऑप. बैंक लि.

2. प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत रेडिमेड गारमेन्ट (आरएमजी) इकाइयों के लिए भवन एवं अन्य नियत परिसम्पत्तियों में निवेश पर 25% उच्चतम मूल्य की वृद्धि ।

वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 29 मार्च, 2004 के पत्र सं. 6/1/2003-सीटी-1 द्वारा यह निश्चित किया है कि प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर. के पैरा 3.3(1) के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी अपैरेल इकाइयों में भूमि एवं भवन में निवेश के लिए चालू उच्चतम मूल्य की प्लान्ट एवं मशीनरी में

निवेश की वर्तमान सीमा 25% से बढ़ाकर 50% करना निश्चित किया है । बढ़ाई गई सीमा केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू होगी जहां 1 अप्रैल, 2004 के बाद ऋण मंजूर किए गए हैं अथवा पहले से ही स्वीकृत ऋण का वह हिस्सा जो 1 अप्रैल, 2004 तक वितरित नहीं किया गया हो ।

3. दिनांक 1 अप्रैल, 2004 को मुम्बई में संपन्न तकनीकी सलाहकार सह देखरेख समिति (टीएमसी) की 23 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(i) जिनिंग एवं प्रेसिंग इण्डस्ट्री के लिए फॉर्गिंग तथा इवंपोरेटिंग पद्धति का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट ए (ए) 8(ii) के अंतर्गत जिनिंग एवं प्रेसिंग इण्डस्ट्री के लिए फॉर्गिंग एवं इवंपोरेटिंग पद्धति का निम्नानुसार समावेश किया गया :-

(ए) 8(ii) - फॉर्गिंग एवं इवंपोरेटिंग पद्धति ।

(ii) तकनीकी वस्त्र विनिर्माण के लिए पीयू कोटिंग लाइन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पीयू कोटिंग लाइन को पात्र बनाया गया है तथा तदनुसार परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन-सी (10) में प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई है :-

परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन-वुवन-सी (10) : इन्फ्रा रेड ड्रायर के साथ कॉंग्यूलेटेड पीयू डिप्ड कोटिंग मशीन/पीयू कोटिंग लाइन या कोटिंग डिपिंग/नाईफ मशीन (पात्रता केवल तकनीकी वस्त्र को प्रतिबंधित) ।

(iii) तकनीकी वस्त्र विनिर्माण के लिए अतिरिक्त मशीनरी का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत निम्नलिखित मशीनों को पात्र बनाया गया है तथा तदनुसार परिशिष्ट में निम्नानुसार प्रविष्टि की गई :-

क्र. सं.	मशीनरी का नाम	प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर. में परिशिष्ट एवं क्र.सं.
1.	पी.यू. टम्बलिंग मशीन एवं ड्राइंग मशीन	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 17
2.	डीएमएल रिकवरी प्लान्ट एवं डिस्टिलेशन प्लान्ट	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 18
3.	कोटेड वस्त्र के लिए प्रिंटिंग मशीन	परिशिष्ट - डी - 2 (एफ) नॉन वुवन सी मद सं. 19

(iv) मद (iv) 1 (ए) तथा परिशिष्ट - एफ 4(III) 1 (ए) के लिए परिशिष्ट एफ 1, एफ 2, एफ 3 में बॉयलर के लिए संशोधन :-

8 टनों तक बॉयलर, बशर्ते कि फ्लूइडाइज्ड बेड तेल/गैस की आग पर प्रतिबंधित न रहे, दोनों मल्टीपल सायक्लॉन सेपरेटर आदि के साथ अनुमत है तथा उसके अनुसार मद (iv) के

परिशिष्ट एफ 1, एफ 2, एफ 3 की प्रविष्टि तथा अनेक्स - एफ 4 (III) 1(a) निम्नानुसार संशोधित की गई है ।

वायु की सहायता से नियंत्रित होनेवाली फिल्टर यंत्रपद्धति, स्थिर वैद्युत अवक्षेपकर्ता तथा सुक्ष्म धूल जमा करनेवाला तेल/गैस से जलनेवाला अथवा तरल कोयले से जलनेवाला बॉयलर । तथापि चिमनी से धूल जमा करने के लिए मल्टीपल सायक्लॉन सेपरेटर तथा यंत्रवत फ्लैश सेपरेटर उपकरण के साथ 8 टन प्रति घंटा वाले तेल, गैस या कोयले से जलनेवाले बॉयलर भी पात्र होंगे । ऐसी कम क्षमता वाले बॉयलर विशिष्ट इकाई के लिए एक से अधिक पात्र नहीं होंगे । इसके लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी ।

(v) ड्रा ट्विस्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट बी (जी) (13) में ड्रा ट्विस्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया ।

(जी) (13) ड्रा ट्विस्टींग एवं ड्रा वाइंडिंग मशीन

(vi) लेटेक्स कोटिंग के साथ या उसके बिना बाथमॅट्स का विनिर्माण करने के लिए टफ्टिंग मशीन का निम्नानुसार समावेश किया ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट - डी 1 (बी) (18) के अंतर्गत टफ्टिंग मशीन का समावेश किया गया ।

बी (18) - इलेक्ट्रानिक कंट्रोल के साथ टफ्टिंग मशीन ।

(vii) इलेक्ट्रानिक कंट्रोल के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर का समावेश :-

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट एफ 1 (बी) (III) के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक कंट्रोल के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर का निम्नानुसार समावेश किया गया ।

(19) इलेक्ट्रानिक कंट्रोल के साथ वेफ्ट स्ट्रेटनर ।

(viii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत नॉन-वुवन मशीन का समावेश ।

प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर. के परिशिष्ट डी-2 ई. नॉन वुवन-ए के अंतर्गत निम्नलिखित नॉन-वुवन मशीनों का निम्नानुसार समावेश किया गया :-

(ए) केमिकली बॉन्डेड नॉन वुवन्स

(बी) स्टीच बॉन्ड नॉन वुवन्स

(सी) स्पन बॉन्डेड नॉन वुवन्स

(डी) मेल्ट ब्लॉन नॉन वुवन्स

(ई) स्पन बॉन्ड मेल्ट ब्लॉन (एसएमएस) नॉन वुवन्स

(ix) प्रौ.उ.नि.यो. पर जी. आर के पैरा 4.2 (बी) (ई) में संशोधन :-

"परिवर्तन के रूप में रिंग फ्रेम के लिए ऑटो डॉफर पद्धति को योजना के अंतर्गत समाविष्ट किया गया जिसे किसी भी बनावट/विनिर्माण का ध्यान रखे बिना नये या विद्यमान फ्रेम के रूप में परिवर्तित/स्थापित किया जाएगा ।"

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक